न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —83 / 2020(2020 / 00127)

अनवान : —

1. सतवीर पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।
2. राजबाला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।
3. कविता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मोतीपुराबास तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :— श्रीताराचन्द मोठसरा वादी
श्री मुन्शीराम गोस्वामी

प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 15/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मोतीपुरा बारानी खाता संख्या 7 / 10 के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नं0 2 व 9, मु0 नं0 62 के किला नं0 13, 18, 23 ता 25, मु0 नं0 66 के किला नं0 3 ता 7, 14, 15 कुल किता 14 की 3.542 हैक्टेयर बारानी, खाता संख्या 8 / 9 के मु0 नं0 38 किला नं0 7 / 1, 8 / 1, 9 / 1, 10 / 1, 11 ता 14, 17 ता 25, मु0 नं0 39 किला नं0 25, मु0 नं0 49 किला नं0 14 ता 17, 24 व 25, मु0 नं0 52 किला नं0 3 ता 5, 7, 8, 10, मु0 नं0 56 किला नं0 11, 12, 17 ता 24 कुल किता 40 की 8.742 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रविवादी ओमप्रकाश के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा जीवणराम की खातेदारी हुआ करती थी। जीवणराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश को वादी के दादा जीवनराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी मोतीपुरा बारानी संवत 2061—64 खाता संख्या 17 / 13, 18 / 12 व 10 / ... से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:53 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 स0 83/20 अनुवान सतवीर बनाम ओमप्रकाश आदि अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

साक्ष्य वादी में वादी सतवीर पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मोतीपुरा बारानी के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी रोही मोतीपुरा बारानी सम्वत 2072–75 खाता संख्या प्रदर्श 1,जमाबन्दी मोतीपुरा बारानी सम्वत 2061–64 खाता संख्या 17/13 प्रदर्श 2 , जमाबन्दी मोतीपुरा बारानी सम्वत 2061–64 खाता संख्या 18/12 प्रदर्श 3, जमाबन्दी मोतीपुरा बारानी सम्वत 2061–64 खाता संख्या 20/33 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत डोभी द्वारा सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। रोही मौजा मोतीपुरा बारानी के खाता संख्या 7/10 के मु0 न0 52 के किला न0 2 व 9 के ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये है, जिससे यह साबित हो कि उक्त कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा मोतीपुरा बारानी के मुरब्बा न0 62 के किला न0 13, 18, 23 ता 25, मुरब्बा न0 66 के किला न0 3 ता 7, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 3.036 हैक्टेयर व इसी प्रकार रोही मौजा मोतीपुरा बारानी खाता संख्या 7/10 के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नं0 2 व 9, मु0 नं0 62 के किला नं0 13, 18, 23 ता 25, मु0 नं0 66 के किला नं0 3 ता 7, 14, 15 कुल किता 14 की 3.542 हैक्टेयर बारानी, खाता संख्या 8/9 के मु0 नं0 38 किला नं0 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11 ता 14, 17 ता 25, मु0 नं0 39 किला नं0 25, मु0 नं0 49 किला नं0 14 ता 17, 24 व 25, मु0 नं0 52 किला नं0 3 ता 5, 7, 8, 10, मु0 नं0 56 किला नं0 11, 12, 17 ता 24 कुल किता 40 की 8.742 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रविवादी ओमप्रकाश के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रौजी मौजा मोतीपुरा बारानी के खाता संख्या 7/10 के मुरब्बा न0 62 के किला न0 13, 18, 23 ता 25, मुरब्बा न0 66 के किला न0 3 ता 7, 14, 15 इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 3.036 हैक्टेयर व इसी प्रकार रोही मौजा मोतीपुरा बारानी के खाता संख्या 8/9 के मु0 नं0 38 किला नं0 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11 ता 14, 17 ता 25, मु0 नं0 39 किला नं0 25, मु0 नं0 49 किला नं0 14 ता 17, 24 व 25, मु0 नं0 52 किला नं0 3 ता 5, 7, 8, 10, मु0 नं0 56 किला नं0 11, 12, 17 ता 24 कुल किता 40 की 8.742 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रविवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी सतवीर व प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 2 राजबाला, प्रतिवादी संख्या 3 कविता व प्रतिवादी संख्या 4 सुमित्रा को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त [illegible] घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना [illegible] करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/02/[illegible] [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:53 IST
Reason: SelfAttested

(नायसिंह)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़